राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-7411/2006

रईसा बनाम राजस्थान राज्य

**दिनांक:29.11.2006**

**माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल**

श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अभियुक्ता- प्रार्थिया की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्ता- प्रार्थिया द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-63/2006 पुलिस थाना- अयाना जिला कोटा अपराध अन्तर्गत धारा-406,467,468,420,120-बी भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्ता- प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता- प्रार्थिया की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्ता- प्रार्थिया व उसके भाईयों की संयुक्त खातेदारी की भूमि में 1/7 हिस्सा है। खसरा नं. 529 में उसके हिस्से की भूमि,जिसे नक्शें में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, को प्रभु लाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, अभियुक्ता-प्रार्थिया द्वारा बेचान किया गया है, जिस पर मुनीर व अन्य किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। मुनीर ने यदि किशन गोपाल व उसके पश्चात् पुरूषोतम को भूमि का कोई भू भाग बेचा है तथा उनके साथ कोई धोखा धड़ी की है, तो उससे अभियुक्त-प्रार्थिया का कोई सम्बन्ध नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

इस मामले में मुनीर के द्वारा किशन गोपाल व तत्पश्चात उसी भूखण्ड को पुरूषोतम को बेचान करने में अभियुक्त-प्रार्थिया सह भागी रही हो, ऐसा

अभियोजन द्वारा नहीं बताया गया है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्ता- प्रार्थिया की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में अभियुक्ता- प्रार्थिया को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्ता- प्रार्थिया का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया- रईसा पुत्री मांगी लाल निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला- कोटा को पुलिस थाना- अयाना, कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 63/2006 में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रूपये **10,000/-** (**दस** हजार रूपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये **5,000/- -- 5,000/-(पांच-पांच हजार रूपये मात्र )** की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

1. यह कि प्रार्थिया पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगी।
2. यह कि प्रार्थिया इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी।
3. यह कि प्रार्थिया न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।
4. यह कि प्रार्थिया भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगी।

**(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल )**